कार्यकारी सारांश

विदेश मंत्रालय

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की कार्य-पद्धति

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना भारत एवं अन्य देशों के मध्य सांस्कृतिक संबंधों तथा पारस्परिक समझ को बनाने, पुनर्जीवित करने एवं सुदृढ़ करने के प्राथमिक उद्देश्य से की गयी थी। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सामान्य सभा, शासी निकाय तथा वित्त समिति सहित परिषद के प्राधिकारियों, ने नीति एवं कार्यक्रम बनाये थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि ये प्राधिकारी निर्धारित अंतराल पर नहीं मिले थे, और ना ही उनके द्वारा कोई वार्षिक कार्य योजना बनायी गयी थी।

परिषद, भा.सां.सं.प. छात्रवृत्ति योजना का पर्याप्त रूप से प्रचार करने में विफल रहा था। परिणामस्वरूप, कार्यक्रम के अंतर्गत स्लॉटों का कम उपयोग एवं देशों का विषम प्रतिनिधित्व हुआ था। परिषद ने सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 25 *प्रतिशत* स्लॉट उन देशों को आवंटित किये जिनके साथ सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम हेतु वैध समझौता नहीं था।

परिषद द्वारा विदेश मंत्रालय की अपेक्षित स्वीकृति के बगैर तीन भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र खोले गए एवं प्रचालित किए जा रहे थे। परिषद वित्त मंत्रालय से आवश्यक स्वीकृति लिए बगैर विभिन्न देशों में निदेशक, भा.सां.सं.प. के पद बनाये हुए था। परिषद ने निदेशक, भा.सां.सं.प. के पद पर बाहरी व्यक्तियों की नियुक्ति हेतु कोई दिशानिर्देश नहीं बनाये थे। परिणामस्वरूप, ये पद परिषद द्वारा मनमाने ढंग से भरे जा रहे थे। परिषद द्वारा अपनायी गयी प्रापण प्रक्रिया में बड़ी खामियां थीं। परिषद ने सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों का पालन किए बगैर निजी संस्थाओं से सेवाओं के प्रापण पर काफी व्यय किया।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कार्य पद्धति

इलाहाबाद विश्वविद्यालय भारत में सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है, जिसे सितम्बर 1887 में स्थापित किया गया था। इसे एक राज्य विश्वविद्यालय के रूप में, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था। सरकार ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय को एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया एवं जुलाई 2005 में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वर्ष 2006-2012 की आच्छादित अवधि की निष्पादन लेखापरीक्षा में इनकी कार्य पद्धति में कई महत्वपूर्ण कमियां थी। विश्वविद्यालय अपने स्रोतों को दक्षतापूर्वक तरीके से उपयोग नहीं कर सका क्योंकि यहाँ शिक्षा स्टाफ की बहुत कमी थी तथा शिक्षक-छात्र का अनुपात भी निर्धारित मानदंडों से बहुत अधिक था। अध्यादेश के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा वांछित 15 केन्द्रों की अपेक्षा मात्र सात अन्तः अनुशासनात्मक केन्द्र खोले गए थे।

अनुसंधान परियोजनाओं पर निधियों के उपयोग में बहुत कमी थीं। विश्वविद्यालय विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं से प्राप्त निधियों का केवल 33 *प्रतिशत* ही उपयोग कर पाया था। छात्रावास आवंटन में कमियां थीं, क्योंकि छात्रावास में अप्राधिकृत अतिक्रमण के साथ प्रतीक्षा सूची भी थी। विश्वविद्यालय में निधीयन प्रबंधन निम्न स्तर का था। परिणामस्वरूप, विश्वविद्यालय की अनुप्रयुक्त धनराशि वर्ष 2006-07 में ₹64.80 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹97.15 करोड़ हो गयी। मा.सं.वि.मं. के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, विश्वविद्यालय ने अपने कर्मचारियों के सां.भ.नि. पर ब्याज के भुगतान हेतु अनुरक्षण अनुदान का विपथन किया।

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ का संचालन

डा. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ को राज्य सरकार द्वारा स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट/पोस्ट-डॉक्टरेट अध्ययन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए वर्ष 1989 में स्थापित किया गया था। विश्वविद्यालय को बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1994 के अधीन बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के नाम से पुनः नामित किया गया और केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित (जनवरी 1996) किया गया।

विश्वविद्यालय की निष्पादन लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि विश्वविद्यालय शैक्षणिक अध्यादेश, 2004 के द्वारा प्रावधानित विभिन्न विद्यालयों एवं विभागों को खोलने के संबंध में अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका। विश्वविद्यालय अवसरंचना, शैक्षणिक स्टाफ एवं अन्य सुविधाओं जैसे छात्रावास, क्रीड़ा परिसर, स्वास्थ्य केन्द्र की कमी के साथ कार्य कर रहा था। विश्वविद्यालय द्वारा निधियों का उपयोग निम्न स्तर का था। परिणामस्वरूप, 2006-07 के दौरान ₹2.56 करोड़ की अव्ययित धन राशि बढ़कर 2011-12 के दौरान ₹54.30 करोड़ तक पहुँच गयी थी।